जवाहर नवोदय विद्यालय, गाज़ियाबाद के संदर्भ में एक समीक्षात्मक अध्ययन

रमेश कुमार *
वीरेंद्र प्रताप सिंह **

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की कल्पना की गई है जो ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का उत्तम प्रयास करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय इसी का कार्यान्वित रूप है। नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसर के अंतर्गत विगत तीन महीने विद्यालय में रहने तथा उसकी संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिला। उक्त आलेख उन्हीं अनुभवों पर आधारित है।

जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना भारत सरकार द्वारा ग्रामीणांचलों के मेधावी बच्चों को गुणवत्तापरक आधुनिक शिक्षा को आधुनिक तकनीकों एवं शिक्षण विधि के साथ उल्लासपूर्ण वातावरण में प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। विद्यालय का आवासीय परिवेश सह-शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु संपूर्ण परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है, जहाँ मूल्यों पर आधारित शिक्षा बच्चों का चारित्रिक निर्माण करके उन्हें अच्छे मानव के रूप में निखारती है (www.navoday.nic.in)

जवाहर नवोदय विद्यालय मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों के लिए सह-शैक्षिक आवासीय विद्यालय है जिनके उद्देश्य निम्नांकित हैं-

- ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को संस्कृति के सशक्त मूल्यों, मानव मूल्यों, पर्यावरण जागरुकता, साहसिक गतिविधियाँ एवं शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ अति उत्तम आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना। नवोदय विद्यालय में बच्चों को कक्षा छ: में प्रवेश दिया जाता है तथा कक्षा बारह तक शिक्षा प्रदान की जाती है। अब विद्यार्थियों को कक्षा नौ में भी प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है।
- यह सुनिश्चित करना कि नवोदय विद्यालय के सभी विद्यार्थी तीन भाषाओं में दक्षता का एक उचित स्तर प्राप्त कर सकें, जैसा कि त्रिभाषा सूत्र में निर्धारित किया गया है।

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली-110016
** *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली-110016

- अनुभवों एवं सुविधाओं के आदान-प्रदान द्वारा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक जिले में आदर्श विद्यालय की भूमिका निभाना।

प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन क्षेत्र निरीक्षण के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय, बढ़ायला, कलछिना, गाजियाबाद में सतत् चार महीने रहने एवं उसकी संपूर्ण गतिविधियों में सहगामी होने के आधार पर प्रतिवेदित है। विद्यालय के संपूर्ण वातावरण को निरीक्षित करने के लिए निम्नलिखित पाँच उपकरणों का प्रयोग किया गया है -

1. असंरचित साक्षात्कार अनुसूची-
   (क) छात्र
   (ख) अध्यापक
2. प्रधानाध्यापक साक्षात्कार अनुसूची
3. स्टाफ नर्स साक्षात्कार अनुसूची
4. गैर-शैक्षणिक कर्मचारी साक्षात्कार अनुसूची
5. फोकस ग्रुप डिस्कशन-
   (क) छात्र
   (ख) अध्यापक

उपरोक्त अध्ययन के अंतर्गत इस्तेमाल किए गए उपकरणों की प्रकृति निम्नानुसार है (क्रुगर, 1998 और सिंह, 1998) -

असंरचित छात्र साक्षात्कार अनुसूची - इसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता विषय से बेहतर संबंध स्थापित करके पूर्व संरचित प्रश्नों की सूची प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि बातचीत का क्रम स्थापित करते हुए विभिन्न प्रकार के वांछित प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। प्रश्न साधारण से विशिष्ट प्रकृति के होते जाते हैं, और विशिष्ट प्रकृति के प्रश्न सूचना के संग्रहण में सहायक होते हैं।

साक्षात्कार अनुसूची - इसके अंतर्गत विषयी (प्रधानाचार्य, स्टाफ नर्स एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों से बेहतर संबंध स्थापित करते हुए आमने-सामने बैठकर (Face to Face mode) साक्षात्कार आयोजित किया गया। पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति सामान्य थी ताकि मूलभूत प्रश्नों का जवाब ढूँढ़ा जा सके।

फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन - इसके अंतर्गत सात से आठ शिक्षक, छात्र एवं छात्रा के अलग-अलग तीन समूहों में अलग-अलग विषयों पर बातचीत की गई है। वार्तालाप के आधार पर विद्यालय से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित किया गया है।

उपरोक्त उल्लेखित उपकरणों के अनुप्रयोग के आधार पर जो सूचनाएँ संग्रहित हुई हैं, उन्हें निम्न शीर्षकों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है-

1. **विद्यालय की सुरक्षा** - विद्यालय पूरी तरह से पक्की चहारदीवारी से घिरा हुआ है। विद्यालय के मुख्य द्वार पर चौकीदार की तैनाती रहती है जो प्रत्येक आगंतुक का अभिलेख रखता है, परंतु मजबूत चहारदीवारी के बावजूद भी कई बार विद्यालय से बच्चे चहारदीवारी को लाँघ कर भाग जाया करते हैं। शिक्षक एवं बच्चों दोनों से इस बारे में पूछने पर यह बात प्रकाश में आई कि अकसर कक्षा

छः एवं कक्षा सात के बच्चे विद्यालय छोड़कर भागते हैं या भागने का प्रयास करते हैं। घर छोड़कर विद्यालय आने पर बच्चे विद्यालयी वातावरण में समायोजित नहीं हो पाते, परिणामतः अकसर घर भागने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत छात्राएँ ज़्यादा अनुशासित रहती हैं और वे विद्यालय से भागने का प्रयास छात्रों के अपेक्षा कम करती हैं।

2. **शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव**– विद्यालय में छात्र ग्रामीणाँचलों से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय विद्यालय अवस्थित होने के चलते छात्रों के निष्पत्ति/परिणाम का संपूर्ण दायित्व अध्यापकों पर होता है। अतः यदि छात्र बेहतर प्रदर्शन नहीं करता है तो इसकी जवाबदेही अध्यापकों की ही होती है। इन परिस्थितियों में अध्यापकों को विशेष कक्षा आयोजित करने का प्रबंध करना पड़ता है।

3. **प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग** – विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा मोबाइल के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। परंतु प्रतिबंध के बावजूद भी छात्रों द्वारा विभिन्न छात्रावासों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सह-शिक्षा वाले इस विद्यालय में किशोरावस्था के बच्चे मोबाइल फोन का प्रायः गलत इस्तेमाल करते हैं। छात्रावास के गृहपतियों से बातचीत करने पर अनेक उदाहरण प्रकाश में आए जिसमें अभिभावकों ने येन-केन-प्रकारेण अपने बच्चों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराया है।

4. **सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन**– ग्रामीण आँचलों से आए हुए अधिकांश छात्रों की पारिवारिक स्थिति आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होती है। वे आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं। विद्यालय में प्रवेश के बाद प्रत्येक वर्ष छात्रों को निर्धारित संख्या में दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री एवं शैक्षिक कार्य हेतु पेन, कॉपी, डायरी आदि चीज़ें मिलती हैं, जिसे बच्चे अकसर अपने घर उपयोग हेतु भेज देते हैं।

5. **परामर्शदाता** – विद्यालय में सभी बच्चे पूर्व किशोरावस्था एवं किशोरावस्था की दहलीज़ पर होते हैं। किशोरावस्था के बारे में तो स्टेनले हॉल ने यहाँ तक कहा है कि ''किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है'' अर्थात किशोरावस्था के दौरान छात्र एवं छात्राओं में तमाम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं (कोलमैन, 1978)। इन परिवर्तनों की समझ न होने की दशा में बच्चे अनेक प्रकार की भ्रांतियों एवं संदेह को उत्पन्न करते हैं। अकसर बच्चे अज्ञानतावश तमाम विकृतियों का शिकार हो जाते हैं। अतः उन्हें इस स्थिति से निकालने के लिए परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। विद्यालय में परामर्शदाता का कोई प्रावधान नहीं है। छात्राएँ अपने अत्यंत निजी अनुभवों को किसी के साथ बाँट

नहीं सकतीं। इस बिंदु पर संबंधित लोक अधिकारियों को तात्कालिक रूप से विचार करना चाहिए।

6. **छात्रावास का संचालन** - विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावासों का संचालन विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया जाता है। विभिन्न छात्रावासों के लिए अलग-अलग छात्रावास अधीक्षक (गृहपति) एवं वार्डबॉय की आवश्यकता महसूस की जाती है, जिससे अध्यापकों पर शिक्षण कार्य के अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक का अतिरिक्त दबाव न हो, और वे शैक्षणिक गतिविधियों में अपनी तरफ से सर्वोत्तम परिणाम देने का प्रयास कर सकें।

7. **राजीव गाँधी स्मृति वन** - विद्यालय के अंतर्गत एक छोटा-सा उपवन विकसित करने का प्रयास किया गया है। बच्चों एवं कर्मचारियों की मदद से इस उपवन को विकसित करने के दो उद्देश्य हैं -
   (क) नवोदय विद्यालय के संस्थापक भारत गणराज्य के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गाँधी को श्रृद्धा सुमन अर्पित करना, और
   (ख) छात्रों में पर्यावरण के प्रति सजगता एवं उपादेयता उत्पन्न करना।

विद्यालय द्वारा विकसित उपवन को वर्तमान में बच्चों एवं कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त न होने के कारण उक्त उपवन अपनी आभा/सौंदर्य खोता जा रहा है।

8. **संविदा पर आधारित शिक्षक की पदस्थापना** - विद्यालय में स्थायी/विनियमित अध्यापकों की कमी होने के कारण विद्यालय प्रबंधन को संविदा पर आधारित शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति करनी पड़ी है। परंतु कतिपय निजी कारणों से ऐसे अध्यापक प्रायः शैक्षणिक सत्र के बीच में ही विद्यालय छोड़ कर चले जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक सत्र का अकादमिक कार्य निश्चित रूप से बाधित होता है। इस मुद्दे पर बच्चे प्रायः विनियमित अध्यापकों की विद्यालय में कमी होने की शिकायत करते हैं।

9. **बीमार छात्रों के देखभाल के लिए वार्ड**- विद्यालय के आवासीय परिसर में लगभग 400 बच्चे रहते हैं। कभी-कभी उनमें से कुछ बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। सह-शिक्षा वाले इस विद्यालय में शौचालय के साथ अलग-अलग दो-तीन बिस्तरों वाला एक वार्ड भी होना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी इस बिंदु पर विद्यालय प्रबंधन का ध्यान अपेक्षित है।

10. **जागरुकता अभियान** - जिले में कुछ विशेष ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ से बच्चे विद्यालय में आते हैं। मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाके में जागरुकता की कमी होने के कारण कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं दिला पाते हैं। अतः जिले में मज़बूती से छात्रों के विद्यालय में प्रवेश हेतु जागरुकता अभियान चलाने

की आवश्यकता है जिससे गाज़ियाबाद का संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित हो सके। इस कार्य को संपादित करने हेतु कम्यूनिटी रेडियो प्रोग्राम, स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रवेश परीक्षा से संबंधित विज्ञापन आदि द्वारा प्रसारित/प्रचारित करने की व्यवस्था का समायोजन संबंधित विभाग द्वारा किए जाने की अविलंब आवश्यकता प्रतीत होती है।

आभार

लेखकगण इस शोध प्रपत्र को कार्य रूप में दिए जाने हेतु एन.सी.ई.आर.टी. प्रशासन, नयी दिल्ली एवं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रशासन, गाज़ियाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गई आवश्यक आर्थिक एवं प्रशासकीय सुविधाओं हेतु अत्यंत आभारी हैं।

संदर्भ-सूची

क्रुगर, ए.आर. 1998, *ऑनलाइनिंग एंड रिपोर्टिंग फोकस ग्रुप रिजल्टस,* सेज पब्लिकेशन, लंदन.

सिंह, ए.के. 1998, *मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ,* मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, दिल्ली.

कोलमैन, जे.सी. 1978, करेन्ट कन्ट्रडिक्शन्स इन एडैलसेन्स थ्योरी, *जनरल ऑफ़ यूथ एंड एडैलसेंस,* 7(1):1-11.

www.navoday.nic.in